

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(22)न्याय/2025/56271

जयपुर, दिनांक:

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2025-26 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2025 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) L-20 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	कैलाश चन्द स्वर्णकार	01.04.2025	10.	रूप बसंत शर्मा	03.06.2025
2.	कमल प्रकाश	01.04.2025	11.	गिरवरसिंह	03.06.2025
3.	मनमोहन आचार्य	01.04.2025	12.	दातार सिंह	01.07.2025
4.	अनुरीता शर्मा	01.04.2025	13.	सुब्रत सान्याल	01.07.2025
5.	उगमाराम	01.04.2025	14.	सुभाष चन्द शर्मा	01.07.2025
6.	ऋतु शर्मा	01.04.2025	15.	नन्द गोपाल गोयल	01.08.2025
7.	शराफत अली सैयद	01.04.2025	16.	मनमोहन चूनवाल (अजा)	08.09.2025
8.	अनिता सक्सैना	01.04.2025	17.	महिपाल मूनोथ (अजा)	01.11.2025
9.	अशोक वर्मा	01.05.2025			

क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्मिक श्री मनमोहन आचार्य को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 01.08.2025 को प्रदान की गई है। अतः श्री आचार्य को छोड़कर उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- संबंधित अधिकारी/विभाग।
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव